



2026:AHC: 162058-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 19733/2024

मनीष

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

---

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : धर्मेन्द्र प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 48**

**माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह**

**माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना**

1. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों की मांग करते हुए दाखिल की गई है:-

"(i) थाना खुर्जानगर, जिला - बुलंदशहर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115(2), 351(2), 352 और धारा 64 पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0914 वर्ष 2024 के रूप में दर्ज आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.09.2024 (इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या-1) को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें। (ii) थाना खुर्जानगर, जिला - बुलंदशहर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115(2), 351(2), 352 और धारा 64 पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0914 वर्ष 2024 के रूप में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.09.2024 के अनुसरण में प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार न करने का समादेश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश, या निर्देश जारी करें।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संबंधित पक्षकारों ने मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 04.12.2024 के अनुपालन में अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित पक्षकार उक्त समझौता विलेख में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे जो अभिलेख पर है। उक्त समझौते के प्रस्तर संख्या 6 में उल्लिखित समझौते के नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:-

"6. अंतरिम समझौते दिनांक 25.04.2025 के दृष्टिगत, आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 19733 वर्ष 2024 और आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 3466 वर्ष 2025 में पक्षकारों के बीच निम्नलिखित समझौता हुआ है:

ए) यह कि दोनों पक्षकारों ने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और इस संबंध में उन्होंने "आपसी समझौतानामा" दिनांक 04.07.2025 प्रस्तुत किया है, जिसमें समझौते के नियम और शर्तें अंतर्विष्ट हैं और इसे अवलोकनार्थ इस समझौता-विलेख के साथ संलग्न किया गया है।

बी) यह कि अंतरिम समझौते दिनांक 25.04.2025 के प्रस्तर 7(ए और बी) में पक्षकारों के बीच हुए करार के अनुसार, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 4 को 3,00,000/- रुपये (केवल तीन लाख रुपये) की राशि का भुगतान करेगा और इस संबंध में उसने गुनगुन (प्रत्यर्थी संख्या 4) के पक्ष में जारी पंजाब नेशनल बैंक का 1,50,000/- रुपये (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट संख्या 084072 दिनांक 21.04.2025 प्रस्तुत किया था, जिसे अभिलेख पर रखा गया था और वही आज अर्थात् 04.07.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 4-गुनगुन को सौंपा जा रहा है और उसने इसकी प्राप्ति स्वीकार कर लिया है।

सी) यह कि अंतरिम समझौते दिनांक 25.04.2025 के प्रस्तर 7(सी) में पक्षकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार, आज याचिकाकर्ता ने शेष राशि अर्थात् 1,50,000/- रुपये (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) का एक अन्य डिमांड ड्राफ्ट डी.डी. संख्या 084075 दिनांक 27.05.2025 प्रस्तुत किया है, जो गुनगुन (प्रत्यर्थी संख्या 4) के पक्ष में जारी पंजाब नेशनल बैंक का है और वही आज अर्थात् 04.07.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 4-गुनगुन को सौंपा जा रहा है और उसने इसकी प्राप्ति स्वीकार कर ली है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



डी) यह कि दोनों पक्षकार आगे उक्त "आपसी समझौतानामा" दिनांक 04.07.2025 में उल्लिखित नियमों और शर्तों को दोहराते हैं और उनकी पुष्टि करते हैं, इसलिए पक्षकारों के बीच कोई विवाद शेष नहीं है और वे आगे कोई मुकदमेबाजी नहीं करना चाहते हैं।

ई) यह कि दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि, यदि माननीय न्यायालय वर्तमान समझौता-विलेख के दृष्टिगत आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 19733 वर्ष 2024 और आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 3466 वर्ष 2025 को स्वीकार करने की कृपा करता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 4 को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

एफ) यह कि पक्षकारों के बीच यह भी सहमति हुई है कि वर्तमान विवाद के संबंध में उनके द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध दाखिल किए गए सभी सिविल और आपराधिक वाद संबंधित पक्षकारों द्वारा संबंधित न्यायालय/प्राधिकारी के समक्ष उचित कदम उठाकर वापस ले लिए जाएंगे।

जी) यह कि दोनों पक्षकारों ने आगे यह सहमति व्यक्त किया है कि वे पक्षकारों के बीच वर्तमान विवाद से उत्पन्न होने वाला कोई भी नया वाद एक-दूसरे के विरुद्ध संस्थित या दाखिल नहीं करेंगे।"

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि संबंधित पक्षकारों के बीच सभी विवादों को मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही सुलझा लिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.09.2024 रद्द किए जाने योग्य है।

4. राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने समझौता विलेख के तथ्यों का विवाद नहीं किया है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

6. हमने मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा भेजे गए समझौता विलेख दिनांक 04.07.2025 का परिशीलन किया है।

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों और संबंधित पक्षकारों द्वारा दिए गए इस बयान पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विचार करते हुए कि वे उक्त समझौता विलेख के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे, हम संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ताओं को विचारण पर रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

8. उपर्युक्त तथ्यों के साथ-साथ **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2012) 10 एस.सी.सी. 303** के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, हम इस रिट याचिका को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त हैं।

9. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है।

10. थाना खुर्जानगर, जिला बुलंदशहर में बी.एन.एस. की धारा 115(2), 351(2), 352 और 64 पठित एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 0914 वर्ष 2024 के संबंध में आक्षेपित एफ.आई.आर. दिनांक 30.09.2024 को सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ एतद्वारा रद्द किया जाता है।

**3 अगस्त, 2026**

सौरभ

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना) (न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”